

पत्रांक/वसं/३०१८

/2022-23 दिनांक-18-6-22



Office of the District Basic Education Officer  
PILIBHIT

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that INITIUM GLOBAL SCHOOL, MADHOTANDA ROAD CHIRAIYADEH, PILIBHIT is permanently recognized for Primary(class 1 to 5). The Recognition number allotted to INITIUM GLQBAL SCHOOL is 8/2021. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

18-06-2022(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

Old

4. School Type

Pre-Primary School and Primary School

5. Recognition No.

8/2021

DATE:- 18-06-2022

PLACE:- PILIBHIT

District Basic Education Officer

Digitally signed by District Basic Education Officer  
Date: 2022.06.18 20:07:49  
Reason: For Digital Signature  
Location: PILIBHIT

Signature valid



*B.K. Dhameja*

B.K. DHAMEJA WELFARE FOUNDATION

Note : This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal [www.prernaup.in](http://www.prernaup.in)

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत।

पत्रांक: सह प्र0सहायक- / मान्यता/ 8844-50 / 2020-21

दिनांक: 30/03/2021

प्रबन्धक,

इनीशियम ग्लोबल स्कूल,  
माधौटान्छा रोड चिडियादाह, पीलीभीत।

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के सन्दर्भ में शासनादेश सं0 89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 दिनांक 11 जनवरी-2019 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या: 196/अरसठ-3-2020-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 दिनांक 29 जून-2020 में निहित निर्देशानुसार गठित जनपदीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 28.01.2021 के निर्णयानुसार इनीशियम ग्लोबल स्कूल, माधौटान्छा रोड चिडियादाह, पीलीभीत को दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कक्षा-01 से कक्षा 05 तक औपबन्धिक मान्यता (अंग्रेजी माध्यम) प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूँ।

- 1- मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है, और यह किसी भी रूप में कक्षा 08 के बाद मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (सलंगनक-1) और उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011(सलंगनक-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा 1 में कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास-पड़ोस के कमजोर वर्गों और साधन हीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा। और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा, परन्तु अग्रेत्तर यह की पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्धियम का पालन किया जायेगा।
- 4- प्रस्तर-3 में सन्दर्भित बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा-12(2) के अधीन आच्छादित हो, तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
- 5- समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता-पिता या अभिभावक को किसी जॉच प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।  
(क) बालक का आयु प्रमाण पत्र न होने पर।  
(ख) धर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।
- 7- विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा :-
  1. किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  2. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जायेगा।
  3. किसी भी बालक से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है।
  4. प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम-23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण पत्र वितरित किया जायेगा।

5. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन।
6. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, और।
7. अध्यापक निजी अध्यापन किया-कलापों के निमित्त स्वयं को नहीं लगायेगा।
- 8- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
- 9- विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा। जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- 10- विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।
- 11- विद्यालय, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (अधिनियम संख्या-21 सन् 1860)के अधीन पंजीकृत समिति या तदसमय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।
- 12- विद्यालय, किसी व्यक्ति समूह या व्यक्ति संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधाओं के लिए संचालित नहीं किया जाता है।
- 13- लेखाओं की सम्परीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, प्रतिबर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बंधित कोड संख्या... है। कृपया इसको ध्यान रखा जाये और इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्रव्यवहार के लिए इस संख्याक का उद्धृत करने का कष्ट करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्टें और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बंधी शर्तों की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
- 16- समिति के पंजीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
- 17- विद्यालय प्रबन्ध/न्याय और कर्मचारी वर्ग समय-समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।

(30.01.2021)  
 (चन्द्रकेश सिंह)  
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
 पीलीभीत।

पृ0स0 सह प्र0सहायक/मान्यता /1 /2020-21 तददिनोंक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) तृतीय मण्डल बरेली।
- 4- जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पीलीभीत।
- 5- सम्बंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
 पीलीभीत



B.K. DHAMEJA WELFARE FOUNDATION



Office of the District Basic Education Officer  
PILIBHIT

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that INITIUM GLOBAL SCHOOL, MADHOTANDA ROAD CHIRAIYADEH PILIBHIT is permanently recognized for Upper Primary(class 6 to 8). The Recognition number allotted to INITIUM GLOBAL SCHOOL is 3165-68. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

15-03-2022(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

Old

4. School Type

Upper Primary School(6 to 8)

5. Recognition No.

3165-68

DATE:- 15-03-2022

PLACE:- PILIBHIT

District Basic Education Officer  
Signature valid  
Digitally signed by D. K. DHAMEJA WELFARE FOUNDATION  
Date: 2022.03.15 16:59:38  
Reason: For Digital Signature  
Location: PILIBHIT



पत्रांक सं० अ०/१०७२९

12021-22

दिनांक 15-3-22



*B.K. Dhameja*  
B.K. DHAMEJA WELFARE FOUNDATION

Note : This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal [www.prnaup.in](http://www.prnaup.in)

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत।

पत्रांक: शि0स0- / मान्यता/ 3165-68 / 2020-21

दिनांक: 24-1-2020

प्रबन्धक,

इनिशियम ग्लोबल स्कूल,  
ग्राम चिडिया देह, पीलीभीत।

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के सन्दर्भ में शासनादेश सं0 89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 दिनांक 11 जनवरी-2019 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या: 196/अरसठ-3-2020-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 दिनांक 29 जून-2020 में निहित निर्देशानुसार गठित मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 22.07.2020 के निर्णयानुसार इनिशियम ग्लोबल स्कूल, ग्राम चिडिया देह पीलीभीत को दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कक्षा-06 से कक्षा 08 तक औपबन्धिक मान्यता (अग्रंजी माध्यम) प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूँ। विद्यालय प्रबन्धक को शासनादेश में विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत एन0बी0सी0-2005 प्रमाण पत्र 15 दिवस में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

- 1- मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है, और यह किसी भी रूप में कक्षा 08 के बाद मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (सलंगनक-1) और उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011(सलंगनक-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा 1 में कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास-पड़ोस के कमजोर वर्गों और साधन हीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा। और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा, परन्तु अग्रंत्तर यह की पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्धियम का पालन किया जायेगा।
- 4- प्रस्तर-3 में सन्दर्भित बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा-12(2) के अधीन आच्छादित हो, तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
- 5- समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्ययित शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता-पिता या अभिभावक को किसी जाँच प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।  
(क) बालक का आयु प्रमाण पत्र न होने पर।  
(ख) धर्म,जाति अथवा नस्ल,जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।
- 7- विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा :-
  1. किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  2. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जायेगा।
  3. किसी भी बालक से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है।
  4. प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम-23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण पत्र वितरित किया जायेगा।



for

for

B.K. Dhameja

B.K. DHAMEJA WELFARE FOUNDATION

5. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशयता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन।
6. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, और।
7. अध्यापक निजी अध्यापन किया-कलापों के निमित्त स्वयं को नहीं लगायेगा।
- 8- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
- 9- विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा। जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- 10- विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।
- 11- विद्यालय, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (अधिनियम संख्या-21 सन् 1860)के अधीन पंजीकृत समिति या तदसमय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।
- 12- विद्यालय, किसी व्यक्ति समूह या व्यक्ति संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधाओं के लिए संचालित नहीं किया जाता है।
- 13- लेखाओं की सम्परीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, प्रतिवर्ष जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बंधित कोड संख्या..... है। कृपया इसको ध्यान रखा जाये और इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्रव्यवहार के लिए इस संख्याक का उद्धृत करने का कष्ट करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्टें और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बंधी शर्तों की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
- 16- समिति के पंजीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
- 17- विद्यालय प्रबन्ध/न्याय और कर्मचारी वर्ग समय-समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।

(देवेन्द्र स्वरूप)  
24/07/2020  
जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी,  
पीलीभीत।

पृ0स0 शि0स0/मान्यता / /2020-21 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निर्माकित कौ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- शिक्षा निदेशक (वे0) उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- सचिव, वेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- सहायक शिक्षा निदेशक (वे0) तृतीय मण्डल वरेली।
- 4- जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पीलीभीत।
- 5- सम्बंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।



जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी  
पीलीभीत

B.K. DHAMEJA WELFARE FOUNDATION